

डिजिटल मीडिया आचार संहिता



सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश
और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न



सूचना और
प्रसारण मंत्रालय



डिजिटल मीडिया आचार संहिता

खंड-I: बुनियादी जानकारी

1. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 का महत्व क्या है?

पिछले कई वर्षों में डिजिटल मीडिया का बड़ी तेजी से विकास हुआ है। कई नए हितधारक जैसे कि ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इत्यादि इंटरनेट पर छा गए हैं। इन नियमों में इन निकायों या संस्थानों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ये नियम नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और प्रेस एवं कलाकारों सहित नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए संभावित हानिकारक कंटेंट से बच्चों को दूर रखते हैं। ये नियम डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को मान्यता एवं व्यापक अवसर प्रदान करते हुए भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का सतत एवं दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करेंगे।

2. किस कानून के तहत ये नियम बनाए गए हैं? क्या इन्हें संसद में पेश किया जाएगा?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 दरअसल संसद में पारित एक कानून है। ये नियम इस अधिनियम के तहत ही बनाए गए हैं और इन्हें संसद में पेश किया जाएगा।

3. ये नियम डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए किस तारीख से प्रभावी होंगे?

ये नियम 25 फरवरी, 2021 से ही प्रभावी हो चुके हैं।

4. मैं इन नियमों को विस्तार से कहां पढ़ सकता हूँ?

ये नियम मंत्रालय की इस वेबसाइट पर पढ़े जा सकते हैं:

<https://mib.gov.in/digitalmedia/information-technology-intermediary-guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021>

खंड-II: बुनियादी शब्दावली और नियमों का दायरा

5. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के दायरे में कौन-कौन से निकाय या संस्थान आते हैं?

ये नियम समाचार एवं समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित कंटेंट के प्रकाशकों, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों (जिन्हें आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है) और मध्यवर्ती संस्थानों पर लागू होते हैं।



6. क्या ये नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाएंगे?

नियमों का भाग-II मध्यवर्ती संस्थानों से संबंधित है एवं इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। नियमों का भाग-III डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों एवं ओटीटी प्लेटफॉर्मों से संबंधित है एवं इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा।

Digital Media Ethics Code Benefits and Outcomes For Citizens and Society



Quality Content

Better Journalistic and Entertainment Content

Citizen Empowerment

Informed Choice, Effective Grievance Redressal

Protecting Children

Access Control and Age Verification



Curbing Misinformation

Accountability of Digital News Publishers

7. कौन-कौन से निकाय या संस्थान डिजिटल मीडिया पर समाचारों और समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित कंटेंट के प्रकाशक हैं?

ऑनलाइन पेपर, न्यूज पोर्टल, न्यूज एग्रीगेटर, न्यूज एजेंसी, इत्यादि समाचारों और समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित कंटेंट के प्रकाशक हैं। अन्य निकाय या संस्थान जो ठीक इसी तरह के समान कार्य करते हैं, वे भी समाचारों और समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित कंटेंट के प्रकाशक हैं।

8. ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक कौन है?

ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों को आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। इनमें नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, जी5, ऑल्ट बालाजी आदि जैसे उदाहरण शामिल हैं। ये प्रकाशक अपने प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, फिल्में, वेब-सीरीज़ आदि निर्धारित करते हैं और इन्हें दर्शकों के लिए उपलब्ध कराते हैं।

09. ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का क्या अर्थ है?

ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ऑडियो-विजुअल (श्रव्य-दृश्य) कंटेंट है जैसे कि फिल्में, वेब-सीरीज़ आदि ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा दर्शकों की मांग पर उनको उपलब्ध कराया जाता है।

10. इंटरनेट पर किस तरह के कंटेंट को मांग पर उपलब्ध कंटेंट कहा जा सकता है?

ऐसा कंटेंट जिसे किसी उपयोगकर्ता, ग्राहक या दर्शक (स्त्री/पुरुष) द्वारा निर्धारित किए गए समय पर चुना और प्राप्त किया जा सकता है, इसे मांग पर उपलब्ध कंटेंट कहा जा सकता है।

11. क्या इंटरनेट पर हाल की विभिन्न घटनाओं के बारे में अपनी राय सहित विभिन्न प्रकार के कंटेंट को पोस्ट करने वाले आम उपयोगकर्ता भी प्रकाशक हैं?

आम उपयोगकर्ता जो एक व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक गतिविधि के रूप में इंटरनेट पर कंटेंट पोस्ट नहीं करते हैं, उनको समाचार और समसामयिकी घटनाक्रम आधारित कंटेंट के प्रकाशक की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है।

12. क्या केवल प्रकाशकों की वेबसाइटों पर ही नियम लागू होते हैं?

प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन साधनों के बावजूद प्रसारित किए जा रहे कंटेंट के संबंध में प्रकाशकों को नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

खंड-III: समाचार और समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित कंटेंट के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता

13. डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता क्या है?

- भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड
<https://presscouncil.nic.in/WriteReadData/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf>
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के तहत कार्यक्रम नियमावली <https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-advertising-codes>
- किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा।

14. क्या आचार संहिता समाचार प्रकाशकों के लिए नए प्रतिबंध लगाती है?

डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता यह निर्धारित करती है कि वे मौजूदा कानूनों का पालन करें; इसमें कोई नया कानून या विनियमन निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि कुछ समाचार वेबसाइटें पहले से ही प्रिंट और टीवी समाचार मीडिया के मानदंडों का पालन कर रही हैं, आचार संहिता से आशय सिर्फ इस संदर्भ में है कि डिजिटल समाचार, पत्रकारिता आचरण के मानदंड (प्रिंट पर लागू) और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम (टीवी पर लागू) के तहत

कार्यक्रम संहिता के मानदंडों का पालन करते हैं, जिससे समाचार मीडिया उद्योग को एक समान अवसर मिलते रहें।

खंड-IV: ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार-संहिता

15. ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता क्या है?

ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:

- प्रतिबंधित कंटेंट और कंटेंट से संबंधित सामान्य नियम जिनके संबंध में प्लेटफार्मों को उचित सावधानी और विवेक का पालन करने की आवश्यकता है।
- विभिन्न आयु-आधारित श्रेणियों के अनुसार कंटेंट का श्रेणी विभाजन और कंटेंट की रेटिंग।
- कंटेंट का श्रेणी के अनुसार विभाजन और कंटेंट के विवरणों का प्रदर्शन।
- कुछ कंटेंट तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए आयु-निर्धारण, पैरेंटल लॉक और आयु सत्यापन प्रक्रिया।
- दिव्यांगजनों के लिए कंटेंट तक पहुंच में सुधार के उपाय।

16. आचार संहिता के एक अंग के रूप में ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य नियम क्या हैं?

आचार संहिता के एक अंग के रूप में ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य नियमों में शामिल हैं:

- ऐसे किसी भी कंटेंट को प्रकाशित नहीं करना जो किसी कानून के तहत प्रतिबंधित हो या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित हो।

- भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाला, देश की सुरक्षा के लिए धमकी, खतरा या जोखिम; विदेशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक; अथवा हिंसा को भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव में बाधा डालने की संभावना जैसे कंटेंट के संबंध में निहितार्थों को ध्यान में रखें और उचित सावधानी एवं विवेक का प्रयोग करें।
- किसी भी जातीय या धार्मिक समूह की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं अथवा विचारों को प्रदर्शित करते समय भारत के बहु-जातीय और बहु-धार्मिक संदर्भ को ध्यान में रखें और सावधानी एवं विवेक का प्रयोग करें।

17. कंटेंट के विभिन्न आयाम क्या हैं जिन्हें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए?

ओटीटी प्लेटफार्मों को प्रत्येक कंटेंट या कार्यक्रम, वेब-सीरिज आदि के लिए आयु-आधारित कंटेंट की रेटिंग और कंटेंट के विवरणों को प्रदर्शित करना चाहिए। यदि लागू हो, तो प्रकाशक को कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों को सावधान करने के लिए एक सलाह भी प्रदर्शित करनी चाहिए।

18. वर्गीकरण के लिए पांच-स्तरीय आयु आधारित मानदंड के उपयोग का क्या तात्पर्य है? यह कैसे उपभोक्ताओं की मदद करता है?

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आयु-आधारित वर्गीकरण मानदंड का उद्देश्य संभावित रूप से संवेदनशील या हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बच्चों की रक्षा करना है। चूंकि शिक्षा और मीडिया बच्चों के दिमाग को आकार देने और विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, आयु-आधारित पांच श्रेणियां, माता-पिता को उस ऑनलाइन कंटेंट को लेकर निर्णय लेने में मदद करेंगी, जिनके उपयोग की अनुमति वे अपने बच्चों को दे सकते हैं।

19. आयु-आधारित विभिन्न श्रेणियां कौन-सी हैं, जिनमें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को वर्गीकृत किया जाएगा?

ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को निम्नलिखित आयु-आधारित रेटिंग श्रेणियों में वर्गीकृत किया

S.No	Nature of Content (suitable for)	Classification
1	unrestricted access, regardless of age, and is family friendly	U
2	for persons aged 7 years and above, and can be viewed by a person under the age of 7 years with parental guidance	U/A 7+
3	for persons aged 13 years and above, and can be viewed by a person under the age of 13 years with parental guidance	U/A 13+
4	for persons aged 16 years and above, and can be viewed by a person under the age of 16 years with parental guidance	U/A 16+
5	which is restricted to adults	A

जाएगा-

20. क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप है?

नियमों में किसी तरह की सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्व-वर्गीकृत किया जाएगा।

21. ऑनलाइन कंटेंट के वर्गीकरण के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

ऑनलाइन कंटेंट को निम्न के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है;

i) थीम और संदेश; ii) हिंसा; iii) नग्नता; iv) सेक्स; v) भाषा; vi) नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन; तथा (vii) डरावना कंटेंट। इन्हें नियमों की अनुसूची में वर्णित किया गया है।

22. कार्यक्रम के कंटेंट वर्णनकर्ता द्वारा किन विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए?

कंटेंट वर्णनकर्ता को फिल्म, वेब-सीरीज आदि के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करना चाहिए। ये पहलू अवैध या हानिकारक पदार्थों, सोच को प्रभावित करने वाले व्यवहार, नग्नता, भाषा, लिंग, हिंसा, भय, धमकी, डर आदि के चित्रण से संबंधित हो सकते हैं।

23. यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे संभावित रूप से संवेदनशील कंटेंट न देखें?

'यू/ए 13+' या इससे अधिक रेटिंग वाले कंटेंट के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पहुंच नियंत्रण व्यवस्था को लागू करेंगे, जिसमें पैरेंटल लॉक आदि को शामिल किया जायेगा। 'ए' रेटिंग वाले कंटेंट के दर्शकों के लिए लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म आयु सत्यापन के लिए एक विश्वसनीय तंत्र लागू करेंगे।

24. ये नियम, भारत में ओटीटी उद्योग के विकास को कैसे बढ़ावा देते हैं?

ये नियम, डिजिटल मीडिया इको-सिस्टम को और विकसित करेंगे। एक स्थिर संस्थागत तंत्र, निवेश आकर्षित करने; रोजगार के अवसरों के सृजन में पूरे ओटीटी सेक्टर और विशेषकर ऑडियो-विजुअल सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास में मदद करेगा।

25. प्रस्तावित आचार संहिता, कला की रचना के लिए स्वतंत्रता और रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा देती है?

सरकार कला की रचना के लिए स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। नियम, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की किसी भी भागीदारी के बिना, ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा कंटेंट के स्व-वर्गीकरण का प्रस्ताव देते हैं। इस संबंध में प्रमाणन के लिए नियमों में व्यापक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। इस प्रकार, ये नियम, मनोरंजन क्षेत्र में कलात्मक रचनात्मकता की अभिव्यक्ति और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के विकास के लिए अवसरों का सृजन करेंगे।

26. ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियम उपभोक्ता की पसंद को कैसे बढ़ावा देते हैं?

नियम, दर्शकों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं। ये नियम, ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा रेटिंग और कंटेंट वर्णनकर्ता के प्रदर्शन के साथ स्व-वर्गीकरण का प्रस्ताव करते हैं। यह फ्रेमवर्क, दर्शकों को उस कंटेंट के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिसे वे देखना चाहते हैं। कुछ खास कंटेंट के लिए, नियंत्रित पहुंच और आयु सत्यापन तंत्र, माता-पिता को संभावित हानिकारक कंटेंट से बच्चों की रक्षा करने में भी मदद करेंगे।

खंड-V: शिकायत निवारण तंत्र

27. डिजिटल मीडिया पर कंटेंट से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत तंत्र के तीन स्तर कौन-से हैं?

जनता की शिकायतों का निवारण, समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए नियम, त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना करते हैं:-

- स्तर I - प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन
- स्तर II - प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-नियमन

- स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र

28. स्व-नियामक तंत्र में प्रकाशकों को किस तरह की स्वतंत्रता मिली हैं? क्या सरकार इस तंत्र को नियंत्रित करती है?

संस्थागत तंत्र दो स्तर का स्व-नियमन करता है- स्तर I प्रकाशक और स्तर II स्व-नियमन निकाय है। स्व-नियमन निकाय खुद प्रकाशकों द्वारा गठित एक उद्योग निकाय होगा। सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज या उद्योग से संबंधित क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके अध्यक्ष होंगे, यह प्रतिष्ठित और उच्च स्तरीय निकाय होगा। पहले दो स्तरों पर अनसुलझे मामलों को तीसरे स्तर पर नरमी के साथ सुलझाने की सरकार की भूमिका है।

29. शिकायतों के निवारण के लिए प्रकाशक (स्तर I) की भूमिका क्या होगी?

प्रत्येक प्रकाशक एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और समयबद्ध तरीके से शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशक द्वारा अपनी वेबसाइट या इंटरफेस पर उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक प्रकाशक को स्व-नियमन निकाय का सदस्य बनना होगा।

30. प्रकाशक को प्राप्त शिकायत पर कितने समय में निर्णय लेना चाहिए?

प्रकाशक को 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को निर्णय की सूचना देनी चाहिए।

31. क्या कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर प्रकाशक द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है?

हां, शिकायतकर्ता प्रकाशक के फैसले के खिलाफ स्व-नियमन निकाय में अपील कर सकता है, जिसका प्रकाशक भी एक सदस्य है। यह अपील फैसले की जानकारी मिलने के 15 दिनों के भीतर की जा सकती है।

32. अगर प्रकाशक 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है तो क्या होगा?

अगर प्रकाशक 15 दिनों में जवाब नहीं देता है तो मामले को सीधे स्व-नियमन निकाय द्वारा उठाया जा सकता है, जिसका प्रकाशक भी एक सदस्य है।

33. स्व-नियमन निकाय का गठन कैसे होगा?

प्रकाशक या उनके संघ, नियमों के अनुसार स्व-नियमन निकाय गठित कर सकते हैं।

34. स्व-नियमन निकाय की संरचना क्या होगी?

स्व-नियमन निकाय का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार आदि क्षेत्रों से एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेंगे। इसमें अधिकतम छह अन्य सदस्य होंगे जो इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

35. क्या भारत में सभी प्रकाशकों के लिए एक स्व-नियमन निकाय होगा?

एक से अधिक स्व-नियमन निकाय हो सकते हैं लेकिन प्रकाशक को एक स्व-नियमन निकाय का सदस्य होना चाहिए।

36. स्व-नियमन निकायों के कार्य क्या हैं?

स्व-नियमन निकाय निम्नलिखित कार्य करेगा-

- प्रकाशक द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना,
- 15 दिनों के भीतर प्रकाशकों द्वारा हल न की गई शिकायतों का समाधान;
- प्रकाशकों के निर्णय के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपीलों को सुनना;
- आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रकाशकों को मार्गदर्शन या सलाह जारी करना।

37. क्या मंत्रालय द्वारा इन स्व-नियमन निकायों को पंजीकृत किया जाएगा?

इस पर संतुष्ट होने के बाद कि स्व-नियमन निकाय का गठन नियमों के तहत किया गया है और वे निर्धारित कार्यों को करने पर सहमत हैं, मंत्रालय द्वारा इन्हें पंजीकृत किया जाएगा।

38. एक स्व-नियमन निकाय प्रकाशकों को कैसा मार्गदर्शन और सलाह दे सकता है?

- प्रकाशक को चेतावनी, औपचारिक रूप से निंदा, सावधान करना या फटकार लगाना; या
- प्रकाशक द्वारा माफी मांगना; या
- प्रकाशक को चेतावनी संदेश या खंडन या डिस्क्लेमर शामिल करना की जरूरत; या
- ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के मामले में, प्रकाशक को निर्देश दें कि-
 - प्रासंगिक कंटेंट की रेटिंग को फिर से वर्गीकृत करें; या

- कंटेंट वर्णनकर्ता, आयु का वर्गीकरण और नियंत्रण उपायों में उचित संशोधन करना; या
- प्रासंगिक कंटेंट का सारांश संपादित करें।

39. क्या कोई शिकायतकर्ता स्व-नियमन निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है?

हां, शिकायतकर्ता निर्णय की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्व-नियमन निकाय के फैसले के खिलाफ निगरानी तंत्र में अपील कर सकता है।

40. त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के तहत निगरानी तंत्र (स्तर III) क्या होगा?

सूचना प्रसारण मंत्रालय और मंत्रालय द्वारा गठित अंतर-विभागीय समिति निगरानी तंत्र का गठन करती है।

41. अंतर-विभागीय समिति कैसे गठित होगी?

अंतर-विभागीय समिति की अध्यक्षता मंत्रालय द्वारा नामित अधिकृत अधिकारी करेंगे। इसमें अन्य मंत्रालयों और संगठनों जैसे गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि और क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे।

42. अंतर-विभागीय समिति की भूमिका क्या होगी?

अंतर-विभागीय समिति स्तर II/I से आई या मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों को सुनेगी और मंत्रालय को सिफारिशें देगी।

43. क्या प्रकाशकों को उनकी बात सुने जाने और अपना जवाब एवं स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा?

समिति को भेजे गए मामलों के लिए, प्रकाशकों को उनकी बात सुने जाने और समिति के समक्ष जवाब एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

44. शिकायत/अपील का आखिर में समाधान कैसे होगा?

समिति मंत्रालय को निम्नलिखित सिफारिशें कर सकती है-

- ऐसी संस्था को चेतावनी देना, निंदा करना, फटकार लगाना; या

- ऐसी संस्था की ओर से माफी; या
 - ऐसी संस्था को एक चेतावनी संदेश या खंडन या डिस्क्लेमर शामिल करने की आवश्यकता; या
- ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के मामले में, प्रकाशक को निर्देश दें-
 - प्रासंगिक कंटेंट की रेटिंग को फिर से वर्गीकृत करें, या
 - प्रासंगिक कंटेंट का सारांश संपादित करें, या
 - कंटेंट वर्णनकर्ता, आयु वर्गीकरण और पैरेटल या नियंत्रित पहुंच में उचित संशोधन करें, या
 - सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए कंटेंट को हटाना या संशोधित करना,
 - ऐसे कंटेंट के मामले में, जहां समिति को लगता है कि अधिनियम की धारा 69ए की उपधारा (1) में वर्णित कारणों के संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वह ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

45. शिकायत/अपील का अंतिम रूप से समाधान कैसे होगा?

मंत्रालय अंतर-विभागीय समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और प्रकाशक द्वारा अनुपालन के लिए उचित आदेश/निर्देश जारी करेगा।

46. क्या सरकार द्वारा कंटेंट को रोकना एक नया प्रावधान है?

कंटेंट को रोकने (ब्लॉक करने) का प्रावधान कोई नया प्रावधान नहीं है। यह आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत है और पिछले 11 वर्षों से अस्तित्व में है, 2009 से, इस प्रावधान का प्रयोग सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के तहत, इस

प्रावधान को केवल सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ बदला गया है क्योंकि इन नियमों के भाग III को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

47. कंटेंट को अवरुद्ध करने के संबंध में सुरक्षा उपाय क्या हैं?

श्रेया सिंघल फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 69ए के तहत कंटेंट को अवरुद्ध करने के प्रावधान का इस्तेमाल करने से पहले पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं। इन सुरक्षा उपायों को नए नियमों में बरकरार रखा गया है। सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:

- कंटेंट को अवरुद्ध केवल कुछ विशिष्ट आधारों पर ही किया जा सकता है जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत पाबंदियां हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में वर्णित है। इनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आदि शामिल हैं।
- कंटेंट को अवरुद्ध करने की सिफारिश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों वाली किसी समिति से आनी चाहिए।
- नियम संबंधित प्रकाशक को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अपना जवाब एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं- जो यह देखती है कि इस सूचना को अवरुद्ध करना आवश्यक है या नहीं। यह केवल तभी होता है जब समिति को लगता है कि अवरुद्ध करने का आदेश देने की आवश्यकता है।
- कंटेंट को अवरुद्ध करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।

खंड VI: अन्य पहलू

48. आचार संहिता और अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों को लेकर प्रकाशक और मंत्रालय व अन्य के बीच संवाद और समन्वय कैसे होगा?

प्रकाशक अपनी संस्था के विवरण के बारे में मंत्रालय को सूचित करेंगे।

49. प्रकाशकों और मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा किन मामलों को सार्वजनिक पटल पर रखने की आवश्यकता है?

प्रकाशक और स्व-नियमन निकाय अपने द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों, शिकायतों के निपटारे के तरीके, शिकायत पर की गई कार्रवाई, शिकायतकर्ता को भेजे गए जवाब आदि को मासिक आधार पर सामने रखेंगे।

खंड VII: मंत्रालय से संपर्क

50. किसी भी स्पष्टीकरण या संदेह के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में किससे संपर्क किया जा सकता है?

किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में निम्नलिखित अधिकारियों से ई-मेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है:

- श्री अमरेंद्र सिंह, उप सचिव (डिजिटल मीडिया), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ई-मेल : amarendra.singh@nic.in
- श्री क्षितिज अग्रवाल, सहायक निदेशक (डिजिटल मीडिया), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ईमेल : kshitij.aggarwal@gov.in

नियमों के संबंध में सभी जानकारियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट <https://mib.gov.in/> पर उपलब्ध हैं।